उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न–पत्र एवं द्वितीय प्रश्न–पत्र हेतु प्रश्नों की संख्या, अंकों का विभाजन एवं शब्द सीमा निम्नवत निर्धारित किये जाते हैंः–

सामान्य अध्ययन–प्रथम प्रश्न–पत्र	
01. भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज। 02. उत्तराखण्ड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज। 03. भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था। 04. उत्तराखण्ड की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था। 05. सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। 06. मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरूचि।	क्रमांक 01 से 04 में उल्लिखित विषयों हेतु प्रत्येक विषय के लिये **33 अंक निर्धारित।** क्रमांक 05 से 06 में उल्लिखित विषयों हेतु प्रत्येक विषय के लिये **34 अंक निर्धारित।**

सामान्य अध्ययन–द्वितीय प्रश्न–पत्र	
01. भारतीय अर्थव्यवस्था। 02. उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था। 03. भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। 04. उत्तराखण्ड का भूगोल, जनांकिकी एवं आपदा प्रबंधन। 05. सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख एवं रेखाचित्र। 06. समसामयिक घटनाक्रम ।	क्रमांक 01 से 04 में उल्लिखित विषयों हेतु प्रत्येक विषय के लिये **33 अंक निर्धारित।** क्रमांक 05 से 06 में उल्लिखित विषयों हेतु प्रत्येक विषय के लिये **34 अंक निर्धारित।**

नोट :– सामान्य अध्ययन– प्रथम एवं द्वितीय के प्रश्न–पत्रों में प्रश्नो की प्रकृति तथ्यों के अतिरिक्त अवधारणा एवं अनुप्रयोग पर आधारित होगी।

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

सामान्य अध्ययन–प्रथम प्रश्न–पत्र

क्रमांक 01 से 04 में उल्लिखित विषयों हेतु –

क्र0 सं0	प्रश्न हेतु निर्धारित अंक	कुल प्रश्न	शब्द सीमा	
			शब्द सीमा/प्रत्येक शब्द	कुल शब्द सीमा
01	10 अंक	08 प्रश्न	125 शब्द/प्रत्येक प्रश्न	1000 शब्द
02	08 अंक	04 प्रश्न	100 शब्द/प्रत्येक प्रश्न	400 शब्द
03	05 अंक	04 प्रश्न	60 शब्द/प्रत्येक प्रश्न	240 शब्द

क्र0 सं0	भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज।	उत्तराखण्ड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज।	भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था	उत्तराखण्ड की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था
01	10 अंक	10 अंक	10 अंक	10 अंक
02	10 अंक	10 अंक	10 अंक	10 अंक
03	08 अंक	08 अंक	08 अंक	08 अंक
04	05 अंक	05 अंक	05 अंक	05 अंक
कुल अंक	**33 अंक**	**33 अंक**	**33 अंक**	**33 अंक**

क्रमांक 05 से 06 में उल्लिखित विषयों हेतु –

क्र0 सं0	प्रश्न हेतु निर्धारित अंक	कुल प्रश्न	शब्द सीमा	
			शब्द सीमा/प्रत्येक शब्द	कुल शब्द सीमा
01	14 अंक	02 प्रश्न	180 शब्द/प्रत्येक प्रश्न	360 शब्द
14 अंक के प्रश्न 02 खण्ड में निम्नवत विभाजित होंगे–				
	07 अंक	02 प्रश्न–खण्ड	90 शब्द/प्रत्येक प्रश्न खण्ड	
02	20 अंक	02 प्रश्न	250 शब्द/प्रत्येक प्रश्न	500 शब्द
20 अंक के प्रश्न 02 खण्ड में निम्नवत विभाजित होंगे–				
	10 अंक	02 प्रश्न–खण्ड	125 शब्द/प्रत्येक प्रश्न खण्ड	

क्र0 सं0	सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरूचि
01	14 अंक	14 अंक
02	20 अंक	20 अंक
कुल अंक	**34 अंक**	**34 अंक**

सामान्य अध्ययन–द्वितीय प्रश्न–पत्र

क्रमांक 01 से 04 में उल्लिखित विषयों हेतु –

क्र0 सं0	प्रश्न हेतु निर्धारित अंक	कुल प्रश्न	शब्द सीमा	
			शब्द सीमा / प्रत्येक शब्द	कुल शब्द सीमा
01	10 अंक	08 प्रश्न	125 शब्द / प्रत्येक प्रश्न	1000 शब्द
02	08 अंक	04 प्रश्न	100 शब्द / प्रत्येक प्रश्न	400 शब्द
03	05 अंक	04 प्रश्न	60 शब्द / प्रत्येक प्रश्न	240 शब्द

क्र0 सं0	भारतीय अर्थव्यवस्था	उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था	भारत का भूगोल एवं जनांकिकी	उत्तराखण्ड का भूगोल, जनांकिकी एवं आपदा प्रबंधन
01	10 अंक	10 अंक	10 अंक	10 अंक
02	10 अंक	10 अंक	10 अंक	10 अंक
03	08 अंक	08 अंक	08 अंक	08 अंक
04	05 अंक	05 अंक	05 अंक	05 अंक
कुल अंक	**33 अंक**	**33 अंक**	**33 अंक**	**33 अंक**

क्रमांक 05 से 06 में उल्लिखित विषयों हेतु –

क्र0 सं0	प्रश्न हेतु निर्धारित अंक	कुल प्रश्न	शब्द सीमा	
			शब्द सीमा / प्रत्येक शब्द	कुल शब्द सीमा
01	14 अंक	02 प्रश्न	180 शब्द / प्रत्येक प्रश्न	360 शब्द
14 अंक के प्रश्न 02 खण्ड में निम्नवत विभाजित होंगे–				
	07 अंक	02 प्रश्न–खण्ड	90 शब्द / प्रत्येक प्रश्न खण्ड	
02	20 अंक	02 प्रश्न	250 शब्द / प्रत्येक प्रश्न	500 शब्द
20 अंक के प्रश्न 02 खण्ड में निम्नवत विभाजित होंगे–				
	10 अंक	02 प्रश्न–खण्ड	125 शब्द / प्रत्येक प्रश्न खण्ड	

क्र0 सं0	सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख एवं रेखाचित्र	समसामयिक घटनाक्रम
01	14 अंक	14 अंक
02	20 अंक	20 अंक
कुल अंक	**34 अंक**	**34 अंक**

नोट– प्रश्नों की प्रकृति तथ्यात्मक न होकर विश्लेषणात्मक प्रकृति की होगी। यथासम्भव अंतःविषय (Interdisciplinary) होगी। ताकि अभ्यर्थियों के विषय की जानकारी के साथ–साथ विश्लेषण, चिंतन प्रकृति की भी परीक्षा हो सके।

उक्त प्रश्नों का विभाजन सामान्यतः है, पाठ्यक्रम एवं प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर विषयवार/यूनिटवार प्रश्नों की संख्या भिन्न हो सकती है, जिसका अंतिम रूप से निर्धारण विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है।''

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION